(d) It is hoped that all registrants are allotted flats by DDA during the 8th Five Year Plan period subject to availability of land, infrastructure net services.

(e) No, Sir. There is no such provision under the existing policy.

Sewerage Schemes in Madhya Pradesh

1946. SHRI AJIT P. K. JOGI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have received sewerage schemes for approval from the Government of Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have since accorded approval to such schemes; if so, the details thereof; and

(d. the schemes which haw been rejected together with the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) :
(a) Yes, Sir.

(b) (i) Gwalior Sewerage and Sewage Disposal Project—Rs. 27.30 Crs.

(ii) Jabalpur Sewerage & Sewage Treatment Project—Rs. 77.97 Crs.

(iii) Indore Sewerage and Sewage Disposal Project—Rs. 54.80 Crs.

(iv) Sewerage Scheme for Shivpuri Town—Rs. 18.96 Crs.

(c) Sewerage schemes of Gwalior and Jabalpur has since been cleared from technical angle by the Central Public Health & Environmental Engineering Organisation. Sewerage Scheme of Indore and Shivpuri require further modifications by the State Government.

(d) Does not arise.

Fire Safety Norms in Government Buildings

1947. SHRI SATISH PRADHAN : vVM the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased *to* state :

(a) whether Government's atte«tion has been drawn to the newsitem which appeared in the Indian Express of the 1st Oct., 1992 regarding flouting of fire safety norms in Government buildings;

(b) if so, what is the reaction of Government thereto; and

(c) the steps taken or proposed to be taken in the matter to ensure implepientation of fire safety measures based on the recommendations of Expert Commiitee ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) Yes-, Sir.

(b) and (c) No Expert Committee has been constituted to recommend fire safety measures. However, Government have already initiated action and sanctioned estimates for upgrading fire protection requirements in government buildings as stipulated under the Delhi Fire prevention and Fire Safety Act, 1986. Chief Fire Officer, Delhi Fire Service, has reported great improvement in providing fire safety requirements in government high-rise buildings[1].

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी योजना में अनियमितताएं

1948. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अपनी वर्ष 1991 की रिपोर्ट में उल्लिखित दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी योजना म घटिया सामग्री का उपयोग किया है और क्या यह बात भी प्रकाश में लाई गई है कि बड़े पैमाने पर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं के जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं और उनके विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) : जी हां।

(ख) और (ग) : जी नहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचना दी गई है कि संबंधित इंजीनियरों द्वारा सामग्री की नियमित रूप से जांच की जाती है। फील्ड इंजीनियरों द्वारा जांच किए जाने के अतिरिक्त कोटि नियंत्रण स्कंध भी जांच करता है। तथापि, कुछ मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित विशिष्टियों वाली सामग्री नहीं पायी गई थी। ऐसे मामलों में करार की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले ही कारवाई कर दी गई है/आरम्भ की गयी है और कई मामलों में वसूली हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए लाग नहीं होता।

राष्ट्रीय आवास नीति के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

1949. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आवास नीति के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रिहायशी मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा ही लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी; और

(घ) प्रत्येक योजना में कुल कितनी-कितनी धनराशि वितरित की गई और लक्ष्यों की प्राप्ति न किए जाने के क्या-क्या कारण थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सरकार द्वारा तैयार राष्ट्रीय आवास नीति में उद्देश्यों, लक्ष्यों, नीतियों की रूपरेखा और देश में आवास की कमी को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का खुलासा किया गया है। किन्तु उसमें राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से गृह निर्माण ऋणों की स्वीकृति के लिए विशिष्ट लक्ष्य नहीं दिए गए हैं। इसमें यह परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त संस्थाओं के विकास और विनियमन में सहयोग करेगा और उनको पुनर्वित्त प्रदान करेगा। 1988 में अपने प्रारम्भ काल से नवम्बर, 1992 तक राष्ट्रीय आवास बैंक पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत उसके पात्र प्राईमरी ऋण दाताओं की मार्फत की गई संचयी अदायगी राज्यकीय विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष ग्रामीण आवास ऋणपत्रों में अंशदान सहित, 1367.50 करोड रुपये बैठती है।

NRIs JnveshneBt is Hooting Schemes

1950. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that to attract NRI's investments in Housing Schemes in major cities, Government propose to make changes in the National Housing Policy; and